

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, अंजड जिला-बड़वानी (म0प्र0)**

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 372/2015

संस्थान दिनांक 15.07.2015

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी (म.प्र.)

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. जगदीश पिता नत्थु आयु- 52 वर्ष,
निवासी-सुरपाला थाना गोगावा, जिला खरगोन (म.प्र.)
2. नारायण पिता झापडिया आयु- 50 वर्ष,
निवासी-चितावल थाना ठीकरी, जिला-बड़वानी (म.प्र.)
3. बुधिया पिता तिरख्या आयु- 62 वर्ष,
निवासी-रेहगुन थाना ऊन, जिला खरगोन (म.प्र.)

----अभियुक्तगण

राज्य द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	- श्री विशाल कर्मा अधिवक्ता।

//निर्णय //

(आज दिनांक 23.12.2017 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 119/2015 अंतर्गत धारा 11 (घ) पशुकूटा निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 में प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 14.05.2015 को समय शाम 07:45 बजे, ए.बी. रोड़, बरुफाटक बायपास पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0145 में नग 4 केडों को मारपीट कर कूटापूर्वक मुँह एवं पैर बांधकर, वध के प्रयोजन हेतु या यह

ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, उक्त वाहन में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये जाने, गौवंश के नग 4 केडों को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें उक्त वाहन में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन करने, के संबंध में धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं आरोपी जगदीश पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अंतर्गत अपराध भी विचारणीय है ।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य यह है कि, आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 14.05.2015 को प्रधान आरक्षक योगेश शिंदे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0145 में 4 केडे भरकर महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर वह पंच साक्षी गणेश यादव व बाका उर्फ हीरालाल को सूचना से अवगत कराया व आरक्षक क्रं0 342 हरेसिंह को हमराह लेकर ए.बी. रोड़ बायपास पर पहुंचा जहां नाका बंदी के थोड़ी देर बाद एक वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0145 आयी जिसे रोका गाडी में तीन 3 व्यक्ति बैठे थे तथा पिछे 4 केडे बंधे थे को निर्दयतापूर्वक बंधे थे, गाडी को भगाकर लाने पर केडे गिरे पड़े थे। तीनों व्यक्तियों से नाम, पता पुछते चालक ने अपना नाम जगदीश यादव निवासी सुरपाला थाना गोगांवा व दो व्यक्ति जो माल मालिक बता रहे थे। अपना नाम नारायण भीलाला निवासी चितावल व दूसरे ने बुधिया भीलाला ने रेहगुन का होना बताया था उक्त केडों को परिवहन करते लाने ले जाने व वध करने के लाईसेंस का पुछते नहीं होना बताया था तथा तथा साक्षियों के समक्ष आरोपीगण से पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0145 मय 4 केडों को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 119/2015 अंतर्गत धारा 4, 6, 9 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं 11 (घ) पशु क्रूरता अधिनियम 2004 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की पुलिस ने अपराध के अनुसंधान के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए तथा संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

04. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 11 (घ)

पशुकूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं आरोपी जगदीश पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अंतर्गत भी आरोप पत्र निर्मित कर आरोपीगण को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपीगण ने अपराध अस्वीकार किया है। धारा 313 द0प्र0सं0 के परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया है, किन्तु बचाव में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 14.05.2015 को समय शाम 07:45 बजे, ए.बी. रोड़ बरूफाटक बायपास पर वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी.0145 में नग 4 केडे को मारपीट करकूरतापूर्वक मुँह पैर बांध कर ले जा रहे थे?
2. क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश क4 बैलों को वध के प्रयोजन हेतु या यह ज्ञान रखते हुए कि उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या वध किये जाने की संभावना है, वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी.10 जी.0145 में वध हेतु अन्य राज्य महाराष्ट्र की ओर परिवहन करते पाये गये?
3. क्या आरोपी ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर गौवंश के नग 4 केडे को वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए उनका इस प्रकार वध किया जायेगा या किये जाने की संभावना है, उन्हें वाहन पीकअप क्रमांक एम.पी. 10 जी. 0145 में राज्य के भीतर या राज्य के बाहर वध हेतु उनका परिवहन किया? यदि हां, तो उचित दंडाज्ञा?
4. क्या आरोपी जगदीश ने उक्त, दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को अबीमित होते हुए चलाया?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में गणेश (अ.सा.1), डॉ० एस०के० दांगौडे (अ.सा.2), बाला उर्फ हीरालाल (अ.सा.3), हरेसिंह (अ.सा.4) एवं प्रधान आरक्षक योगेश शिन्दें (अ.सा.5) के कथन लेखबद्ध कराए गये हैं, जबकि आरोपीगण की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 5 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर सह संबंधित होने से उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। योगेश शिंदे (अ.सा.5) का कथन है कि, दिनांक 14.05.2015 को वह थाना ठीकरी में प्र० आरक्षक के पद पर था उसे बरूफाटक चौकी पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी की पीकअप क्र० एम०पी० 10 जी० 0145 में 4 नग केडों को महाराष्ट्र वध हेतु ले जा रहे हैं तो उसने रहागीर पंच गणेश तथा वाका उर्फ हीरालाल को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया तथा उन्हें और आरक्षक हरेसिंह को साथ लेकर ए०बी०रोड बायपास पर पहुंचकर नाका बंदी तभी ठीकरी की ओर से पीकअप क्र० एम०पी० 10 जी० 0145 में जिसे उसने रोका उसमें तीन व्यक्ति बैठे हुये थे तथा वाहन की पीछे की ओर 4 नग लाल रंग के केडे कुरतापूर्वक बांधकर भरे हुये थे उसने पीकअप वाहन में केडों को परिवहन कर रहे व्यक्तियों के नाम पूछे तो चालक ने अपना नाम जगदीश यादव निवासी सुरपाला और केडों के स्वामी जो वाहन में बैठे हुये थे उन्होंने अपना नाम नारायण भीलाला निवासी चितावल तथा बुधिया भीलाला निवाही रेहगुन का होना बताया था उनसे केडों को ले जाने के स्थान के बारे में पूछा तब उन्होंने उक्त केडों को महाराष्ट्र के शिरपुर की वध शाला में ले जाना बताया है। आरोपीगण के पास बैलों को परिवहन करने के संबंध में कोई भी अनुज्ञप्ति नहीं होना पायी थी। उसने मौके से ही तीनों आरोपीगण के कब्जे से उक्त पीकअप वाहन और उसमें भरे केडे प्र०पी० 1 के अनुसार जप्त किये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा चालक जगदीश का डाईविंग लाईसेंस जप्त किया था मौके पर वाहन के बीमा संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं होना पाये थे, तथा विवेचना के दौरान भी आरोपीगण द्वारा बीमा संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।

8. साक्षी का यह भी कथन है कि, वह जप्त पीकअप वाहन आरोपीगण तथा केडों को साथ लेकर थाना ठीकरी आया जहां पर उसने रोजनामचें में वापसी का इद्रांज किया जिसकी कार्बन प्रति प्रकरण में संलग्न की है जो प्र०पी० 7 है उसने आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र० 119/15 प्र०पी० 8 का दर्ज किया जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं उसने साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये। जप्त केडों का पशु चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण कराया तथा जप्त केडों और पीकअप वाहन को राजसात करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक बडवानी के माध्यम से जिला कलेक्टर बडवानी को पत्र भेजा था तथा पुलिस अधीक्षक बडवानी द्वारा उक्त वस्तुओं को राजसात करने के संबंध में भेजे गये पत्र क्र० 23ए/15

की प्रतिलिपि प्राप्त हुयी थी जो प्र0पी0 9 है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही ग्राम चितावल के पहले की गयी है जहां से उन जिला खरगोन जाने का रास्ता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही गुरुवार के दिन की गयी है लेकिन साक्षी ने यह जानकारी होने से इंकार किया है कि, गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल में पशु बाजार लगाता है अथवा गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल के पशु बाजार में आस पास के कृषक एवं पशु पालक पशु खरीदने के लिये आते हैं या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, वह नहीं बता सकता है कि, जप्त शुदा बैल कृषि योग्य थे या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया है कि, उसने प्रकरण में बरूफाटक चौकी पर उपस्थित होने की रोजनामचें की प्रति पेश नहीं की है। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि, जप्ती के दोनों साक्षियों को उसने रास्ते से लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, साक्षी हीरालाल उर्फ वाका के कथनों में शिरपुर वध हेतु ले जाने का उल्लेख नहीं है लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि, वह असत्य कथन कर रहा है या उसने असत्य विवेचना की है।

9. हरेसिंह (अ.सा.4) ने भी योगेश शिंदे (अ.सा.5) के द्वारा उसे दि0 14.05.15 को बरूफाटक चौकी पर पीकअप वाहन क्रं0 एम0पी0 10 जी0 0145 में केडों को भरकर महाराष्ट्र वध हेतु ले जाने की सूचना उसे बताने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि, फिर पंचों को बुलाकर बरूफाटक बायपास पहुंचकर वाहन क्रं0 एम0पी0 10 जी0 0145 को रोका जिसमें आरोपीगण बैठे हुये मिले तथा 4 केडे पीकअप के अंदर भरे हुये थे केडों के संबंध में पूछताछ करने पर महाराष्ट्र ले जाकर वध करना एवं मांस विक्रय करना बताया था। उनके पास केडों को वध करने और परिवहन करने के कोई दस्तावेज या लायसेंस नहीं थे। अतः योगेश शिंदे ने उक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करके वाहन एवं केडों सहित थाने पर लाये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, प्र0 आरक्षक शिंदे ने पशुओं को वध करने के संबंध में कोई भी हरियार जप्त नहीं किये थे तथा वाहन रोकने के पश्चात साक्षियों को आसपास से बुलाया था। इस साक्षी ने भी यह जानकारी होने से इंकार किया है कि, गुरुवार के दिन ग्राम सुन्देल में पशुओं का बाजार लगता है साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, योगेश शिंदे ने उसकी सामने जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी अथवा वह पुलिस विभाग का कर्मचारी होने से असत्य कथन कर रहा है।

10. डॉ0 एस0के0दांगौडे (अ.सा.2) का कथन है कि, दि0 14.05.2015 को पशु चिकित्सालय ठीकरी में थाना ठीकरी से पत्र क्रं0 1359/दिनांक 14.05.2015 द्वारा जप्तशुदा 4 केडों का मेडिकल परीक्षण करने हेतु प्राप्त होने पर उसने उसी

दिनांक को बाके बिहारी गौशाला पहुंचकर उक्त 4 केडों का परीक्षण किया था। उसके द्वारा उक्त 4 केडों का परीक्षण करने पर 2 केडों को कोई चोटें नहीं थी तथा शेष 2 केडों को पूंछ के ऊपर रगड़ के निशान होना पाये थे। 4 केडों की आयु लगभग ढाई से तीन वर्ष की थी। उक्त 4 केडे कृषि कार्य एवं प्रजनन कार्य के लिये उपयोगी थे। साक्षी ने उसका परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी0 6 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि, केडों को आयी चोटे दीवार से रगड़ाने जो सख्त जगह से रगड़ाने से आ सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, यदि केडों को लंबी दूरी पर पत्थरीली और सख्त जगह पर चलाया जाये तो उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है।

11. गणेश (अ.सा.1) तथा वाका उर्फ हीरालाल (अ.सा.3) आरोपीगण से उक्त केडों को जप्त करने के साक्षीगण हैं, किन्तु उक्त दोनों ही साक्षियों को पहचाने और उनके सामने पुलिस द्वारा कोई भी जप्ती की कार्यावाही करने से इंकार करके अभियोजन के मामले का पूर्ण रूप से खंडन किया है गणेश असा0 1 ने केवल प्र0पी0 1 व 4 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं तथा वाका उर्फ हीरालाल (अ.सा.3) ने अपनी अगुंठा निशानी स्वीकार की है। उक्त दोनों ही साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि, उनको पुलिस थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक ने बुलाकर एक पीकअप वाहन में केडे भरकर ले जाना बताया था या पुलिस ने उनके सामने बरूफाटक बायपास पर पीकअप क्रं0 एम0पी0 10 जी0 0145 में को रोका था जिसमें आरोपीगण 4 केडे वध हेतु महाराष्ट्र लेकर जा रहे थे। साक्षियों ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि, आरोपी जगदीश से उक्त पीकअप वाहन तथा उसमें भरे 4 केडे तथा आरोपी जगदीश की चलान अनुज्ञप्ति जप्त की थी। यहां तक कि, साक्षियों ने पुलिस को उनको कोई कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षियों ने स्वीकार किया है कि, वे पुलिस के साथ कई भी नहीं गये थे उन्होंने जब उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी किये थे तब उनके और पुलिस के अतिरिक्त कोई नहीं था।

12. ऐसी स्थिति में जबकि आरोपीगण से उक्त केडे और वाहन जप्त करने के संबंध में जप्ती पंचनामों के दोनों ही साक्षी पक्ष विरोधी रहे हैं और उन्होंने आरोपीगण को पहचाने तथा उनके सामने कोई भी जप्ती करने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यहां तक की साक्षीगण की जप्ती स्थल पर उपस्थिति होना भी प्रमाणित नहीं हुयी है तो ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है क्योंकि पुलिस अधिकारियों की साक्ष्य कितनी भी कितनी ही विश्वसनीय क्यों न हो सम्पुष्टि के आधार पर उस पर दोषमुक्ति आधारित नहीं की जा सकती है तथा अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है।

13. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव आरोपीगण जगदीश पिता नत्थु, नारायण पिता झापडिया एवं बुधिया पिता तिरख्या को शंका का लाभ देते हुए धारा 11 (घ) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, धारा 6 सहपठित धारा 11 म.प्र. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 एवं धारा 4, 6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 एवं जगदीश पिता नत्थु, को मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 146/196 के अपराधों से भी दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

14. प्रकरण में जप्तु हुये 4 केडे एवं पीकअप वाहन क्रं0 एम0पी0 10 जी0 0145 में को राजसात करने की कार्यवाही कलेक्टर बडवानी द्वारा की जा रही है अतः उक्त संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

15. निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर बडवानी को सूचनार्थ भेजी जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

सही/—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

सही/—

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी